>

Title: Further discussion on flood and drought situation in the country raised by Shri Navjot Singh Sidhu on the 27th August, 2010 (Discussion concluded).

***श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव):** आज सूखा एवं बाढ़ से हमारे देश के कई हिस्से तबाह हो रहे हैं। लेकिन इसे रोकने के लिए हमारी सरकार गंभीर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा 33 साल पहले बनाया गया बिल अभी तक विभिन्न राज्य सरकारों के सामने पास होने के लिए पड़ा हुआ है। यह बिल केन्द्रीय जांच आयोग ने 1975 में राज्य सरकारों के पास भेजा गया था। अगर यह बिल उस समय पास हो जाता तो आयोग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हटाने से लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना, प्रभावित लोगों को मुआवजा, बाढ़ संभावित क्षेत्र में बसावट की नीति बनाने का अधिकार मिल जाता। जिससे कि बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सकता था।

मुझे लगता है नदियों के उद्गम स्थल पर बारिश न रूकी तो गंगा - यमुना के मैदान ही नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि लगभग आधा दर्जन बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं हम देखें तो दूसरी और नदियों के तटीय निचले हिस्सों में बाढ़ आ गई है। और तो और इन नदियों पर बने बैराज के फाटक खोलने से कई शहरों के निचले हिस्सों में पानी भर गया है। पहले सुखा और अब बाढ़ जैसी आपदा से खेती चौपट होने का खतरा है।

गंगा की ज्यादातर सहायक नदियाँ खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। आज हम देख रहे हैं हर राज्य में हो रही लगातार बरसात से नदियों के उद्गम स्थल पर ही बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई हैं। इसमें कई राज्यों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। यह बारिश का सिलसिला अभी भी रूका नहीं है। गंगा जैसी कई प्रमुख नदियाँ खतरे के निशान को छूने लगी हैं। इन नदियों के किनारे के शहर, बस्ती में रहने वाले लोग तथा खेत पानी में डूबने लगे हैं।

मै ंआपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में यमुना अपने उद्गम स्थल से ही लबालब बह रही है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर, हरियाणा में यमुनानगर और देश की राजधानी दिल्ली में यमुना ने खतरे का निशान पार कर लिया है। हरियाणा के ताजेवाला बैराज में पानी अधिक होने के कारण फाटक खोल दिए गए हैं। इससे यमुना के किनारे बसे छोटे-बड़े कस्बों और गॉवों में पानी घुस गया हे। राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है।

---

*Speech was laid on the Table.

मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से प्रभावित राज्यों को तुंत मुआवजा दिया जाए। हमारी सरकार सिर्फ बोलती है कि मुआवजा दिया जायेगा परंतु वो भी हमारी सरकार समय पर नहीं दे पा रही है इसके क्या कारण हैं ?

मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में आज भी कृषि प्रमुखतः 68 प्रतिशत वर्षा जल पर निर्भर है, इसके बावजूद भूजल व सतही जल के अत्याधिक दोहन और ग्लोबल वार्मिंग से बदली परिस्थितियों ने देशभर में सूखे के दायरे को और व्यापक बनाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूखे से बदहाल राज्यों के कई जिलों को अब बाढ़ ने घेर लिया है। किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फसल नष्ट होने के साथ ही उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया हे। एक बार फिर रोजगार की तलाश में पलायन का सिलसिला शुरू हो गया हे। हम देख रहे हैं सैंकड़ों की तादाद में विभिन्न राज्यों के विशेषतः विदर्भ में किसानों की हालत हम सभी जानते हैं साथ ही मराठवाड़ा के गरीब किसान जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनके तुंत सरकार द्वारा मुआवजा देना चाहिए पर हमारी सरकार वह भी समय पर नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार इसमें भी देरी कर किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है क्यों ?

मुझे लगता है कि सूखा अकाल के इस मौसम ने बेपटरी आपदा प्रबंधन की पोल खोल दी हे। न कहीं कोई मानिटरिंग की व्यवस्था और न ही इंटरनल ऑडिट। स्थिति निंदनीय है कि आपदा का पैसा कैसे खर्च हो रहा है, कहाँ-कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी स्वयं आपदा प्रबंधन विभाग को ही नहीं है। नतीजतन राहत के लिए तत्काल जरूरी पूर्व में केन्द्र ने राहत पुनर्वास के लिए आवंटित धन 400 करोड़ रुपये के आवंटन पर ही ग्रहण लग गया है।

सूखा अकाल से लोग मौत के मुंह में पहुंच रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में आपदा राहत कोष के करीब 28 करोड़ रुपये विभिन्न ट्रेजरी से निकाल लिए गए, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि खर्च का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है मैं पूछता हूँ सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ?

विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05 में 21.88 करोड़ रुपये की निकासी हुई, जिसका डीसी बिल जमा नहीं किया गया। इसी तरह वर्ष 2005-06 में 5.32 करोड़, 2006-07 में 47 लाख, 2007-08 में निकाले गए 23 लाख रुपये का कोई हिसाब-किताब विभाग के पास नहीं है।

वर्तमान समय को देखते हुए अधिकांश राजनैतिक दल सुखाड़ राहत के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। इस दिशा में भी मुझे लगता है कोई प्रयास शुरू नहीं हुआ है। दिनों दिन स्थिति और बिगड़ती जा रही है। सूखे के मद्देनजर सरकार कृषि, खाद्य आपूर्ति, ग्रामीण विकास जैसे मसलों पर स्वयं को केंद्रीत रखी हुई है फिर भी इन मदों में बजटीय प्रावधान के अनुरूप खर्च नहीं हो पा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में पूरा सूखे की चपेट में होने और सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद विकास की गाड़ी बहुत ही मद्धिम चल रही है।

मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि सरकार इन सभी पहलुओं पर तुंत कोई नीति बनाए ताकि बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित राज्यों में रहने वाले परिवारों को न्याय मिल सके।

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): देश में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में सदन में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जा रही है। देश में एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ अकाल की स्थिति दिखाई दे रही है। यह विपरीत स्थिति एक प्राकृतिक आपदा हे। मानव आज चांद और मंगल गृह पर गया है लेकिन वह प्रकृति के आगे विवश दिखाई देता है। इस प्राकृतिक आपदा के लिए कोई ग्लोबल वार्मिंग को दोषी ठहराता है। प्रपाकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन भी आज इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है तो कुछ मानव निर्मित घटनाएं भी इसके लिए सहायक सिद्ध हो रही हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर भारी मात्रा में कोयले की खाने हैं। इन कोयले की खानों से निकलने वाले पत्थर, मिट्टी जिसको ओ.बी. डम्प कहा जाता है, हमारे यहाँ की नदियों के किनारे डालने से नदी संकरी होकर बाढ़ आ रही है। पूर्व में कभी भी बाढ़ नहीं आती थी वह क्षेत्र आज बाढ़ प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन की घोर उपेक्षा और कोयला खान प्रबंधन की मुजोरी के कारण यह सब घटित हो रहा हे। हमने सरकार के संज्ञान में यह बात लाने के बाद भी कार्रवाई का अभाव हे। अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो बेचारे किसान अपनी फसलों को डूबते देखने के अलावा क्या कर सकता है और ग्रामीण जनता विस्थापन का अनुभव लेने के अलावा क्या कर सकती है और हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावितों को नुकसान, भरपाई, मुआवजा देने के नियम इतने कठोर हैं कि प्रशासन द्वारा महीनों, सालों के बाद ही दिया जाता है इससे लोगों में आक्रोश है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार इसको गंभीरता से ले और वे.को.ली. द्वारा हमारे क्षेत्र की नदियों के किनारे डाले गये ओ.बी.डम्प के पहाड़ों को हटाये और इसके कारण जिन गांवों तथा किसानों पर कुप्रभाव पड़ा उन्हें सहायता और उनके पुर्नस्थापन के लिए उचित धनराशि और विकास कार्य कराये।

मैंने शुरू में बाढ़ और सूखे की विपरीतता की बात कही थी। श्रद्धेय अटलजी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने इसका संज्ञान लेकर नदी जोड़ परियोजना चलाने का निर्णय लिया था। इससे सूखे क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने के साथ बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता था। लेकिन राजनीतिक हानि-लाभ का विचार कर यू.पी.ए. सरकार द्वारा उक्त परियोजना के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। उस समय तत्कालीन मंत्री माननीय सुरेश प्रभु के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा परियोजना के बारे में एक रिपोर्ट दी गई थी। सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। क्या नदी जोड़ परियोजना का काम इस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यह देश के लिए आवश्यक और महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में सामने आनी चाहिए।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह राजनीतिक रूप से न सोचकर देशहित के बारे में सोचें और नदी जोड़ परियोजना का कार्य आरंभ कर इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संसाधन भी उपलब्ध करा दे।

*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): आज देश की बाढ़ और सूखे की तात्कालिक वास्तविक स्थिति के बारे में आपके माध्यम से मैं इस सदन में यह बताना चाहूंगी कि आज हमारा देश जो वास्तविक आपदा से जूझ रहा है, वह प्राकृतिक आपदा का नाम, जिसे पूरा भारत का वह निचला भाग बाढ़ और सूखे की मार को झेलने वाले 13 राज्य जो 2010 के दौरान पाये गये और जिसमें उस वर्ष की कुछ जिले 80 जिसे सरकार द्वारा 8000 करोड़ रूपये की राशि उन राज्य सरकार को उस दौरान राहत स्वरूप दिये गये।

मेरा मानना है कि एक केन्द्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट वर्षो-वर्ष पहल बनाया गया बिल आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इससे यह ज्ञात होता है कि शायद इस बिल की आवश्यकता केन्द्र सरकार को नहीं है। यह भी ज्ञात होता है कि शायद केन्द्र सरकार को देश की वास्ताविक प्राकृतिक आपदा की जानकारी ही नहीं है और शायद यह बिल की पास होने की स्थिति में शायद उन अधिक से अधिक निचले राज्य डूब के राज्यों के प्रतिस्थापन, विस्थापन एवं मुआवजा उससे अधिक उस डूब राज्यों, जो प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हटाने से लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना आदि संबंधित नीति बनाने का अधिकार मिल जाता, जिससे कि बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सकता है।

मेरा मानना है कि आज जितनी बड़ी नदियां हैं, वह सभी कि स्थिति प्रतिवर्ष बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रदेश से लेकर उन जिलों को तबाह करता है। आज मैं देखती हूं कि लगभग सभी बड़ी नदियों की स्थिति एक समान सी हो गई है जो अपने समय में खतरे के निशान से ऊपर ही चलती है। क्या आजादी के बाद हमने इसका जिक्र संविधान के उन पन्नों में भी स्वर्ण अक्षरों से इंगित किया था और आज भी उन पन्नों में वही स्वर्ण अक्षरों से इंगित है। इससे यह बात की जानकारी होती है कि देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण जायजा मालूमात दौरान ही संविधान के निर्माणकर्ताओं ने इसका उसमें उल्लेख किया था और उस ओर विशेष गति के साथ देश की लोक महत्व की रक्षा, जान माल की रक्षा एवं उनके विकास को ध्यान में रखकर इसकी विशेष रचना की।

मुझे आज यह बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि आज इतने बड़े देश का भूभाग आज भी बाढ़ और सूखे से जूझ रहा है। क्या कारण है कि आज भी हमारे पास इस ओर कार्य करने की इच्छाशक्ति क्या हमारे पास नहीं है या उन राज्यों को अपना हिस्सा मानने को तैयार नहीं है जो इस आपदा से प्रतिवर्ष जूझते हैं।

देश के विकास और विनाश की चिंता सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और उसकी योजना के लिए सरकार कटिबद्ध होना उसके आवश्यक गुण में होना नितांत आवश्यक है।

मेरा मानना है कि आज भी जिस प्राकृतिक आपदा के रूप में हम बाढ़ एवं सूखे का प्राकृतिक दर्शन करते हैं, परंतु पिछली लंबित संबंधित योजना पर शायद हम क्रियान्वयन करना नहीं चाहते। आज जहां बाढ़ है और जहां सूखा है क्या इस सामान्य करने की कोई योजना बनी ही नहीं या हमने उसका क्रियान्वयन करने पर विचार ही नहीं किया। नदियों को जोडने की योजना शायद लंबित पड़ी है इस योजना को भारत जेसे विशाल राष्ट्र को अतिआवश्यक है जिससे हम इस आपदा से निजात पा सकते हैं और एक विकासशील राष्ट्र को दुनिया में प्रखरता से रख सकते हैं।

आज पर्यावरण की स्थिति की चिंता दुनिया का हर देश कर रहा है। पानी को बचाने एवं वृक्ष को समान स्वरूप देने की चिंता दुनिया ने की है, परंतु यदि हम नदियों को समान स्वरूप यदि देना चाहते हैं तो इन नदियों को जोड़ने की योजना के माध्यम से हम देश को दोनों ही स्वरूपों के माध्यम से हम हर कार्य को सम्पूर्ण रूप प्रदान कर सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। पानी सुरक्षित होगा एवं देश के उन राज्यों को कमजोर की श्रेणी से विकास की श्रेणी में खड़ा करेंगे एवं देश की उन्नतिशील राज्यों के रूप में उनका पूरा स्वरूप बदलते हुए हम एक दुनिया के उन्नतशील राष्ट्र के रूप में खड़ा होने में हमें कोई नहीं रोक सकेगा।

आज देश की कही जाने वाली राजधानी की स्थिति उस निचले भूभाग वाले राज्यों जैसी हो गई, जहां यमुना जी भी राजधानी के उस निचले कमजोर तबके को अस्त-व्यस्त कर दिया, जिसे ठीक से खड़े होने की क्षमता या शक्ति ही नहीं है जब राजधानी जैसे उस तबाही के दर्शन की बात हो या उस विशाल नदियों की बात करे लगभग स्थिति को सहज रूप से देखे तो सभी समान रूप का दर्शन कराती है और फिर हम इसके लिए राज्यों को हम पूरा सहयोग और उन्हें पूरी तरह मजबूत करने के लिए सरकार का ध्यान इसमें समर्पित क्यों नहीं है।

आज देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला किसान इस बाढ़ एवं आपदा सूखे से ऐसा पीड़ित है कि या तो वह आत्महत्या कर लेता है या अपनी उस मां जैसे भूमि को छोडकर पलायन कर लेता है। ऐसा क्यों है महोदय। क्या उसकी इस दुर्गति में संभावनाएं किसकी होती है उस प्राकृतिक आपदा या सरकार की क्रियान्वयन में कंजूसी हमें दिल को बड़ा करना होगा एवं उस कमजोर राज्य एवं किसानों की चिंता करनी होगी और वह समय आ चुका है कि आज हमें देश को जीवित रखने वाला किसान को विशेष महत्व देने के सा उसे वह सभी उन कार्यों को कानूनी रूप देकर उन्हें बचाना होगा।

मुझे लगता है कि सूखा-बाढ़ की प्रबंधन समिति का यहां सभी तथ्यों पर खुलासा सा हो गया है। आज भी इस प्रबंधन में कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था इंटरनेट आदि की व्यवस्था नहीं है। शायद यह निंदनीय है आपदा का पैसा कैसे खर्च हुआ, कहां हुआ और किस जगह हुआ इसकी जानकारी स्वयं आपदा प्रबंधन को ही नहीं है।

अतः आपसे अंतिम एवं वर्तमान समय को देखते हुए अधिकांश राजनैतिक दल सुखाड़ राहत के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाने की मांग करते हुए इस दिशा में भी कोई अत्यंत महत्वपूर्ण सरकार कदम उठाकर महत्वपूर्ण नीति बनायें ताकि बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित राज्यों में रहने वाले परिवारों को न्याय मिल सके।

***श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि बाढ़ और सूखे के संबंध में 193 के अधीन चर्चा कराई जा रही गई है ।

आज हमारे देश को आजाद होने के पश्चात से 63 वर्ष हो गए हैं और सरकार को यह भी पता है कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश को सूखे या बाढ़ की स्थिति से ग्रसित होना पड़ता है । महोदय हमलोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्रकृति कि देन है और इसे रोका नहीं जा सकता, परन्तु इसके आपदा से लोगों को बचाया जा सकता है।

महोदय स्थिति के आकलन से यह पता चलता है कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष हजारों लोग इस आपदा के चपेट में आते हैं, और जब लोग चपेट में आते हैं तो सरकार मुआवजे की बात करती है । यहाँ सरकार मुआवजे के बजाय बाढ़ संभावित इलाकों के लोगों को पहले से ही सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित क्यों नहीं कर देती, इससे सरकार को मुआवजा भी नहीं देना पड़ता और लोगों की जान भी बच जाती ।

यह एक राष्ट्रीय आपदा है, और प्रत्येक वर्ष इस आपदा से हमारे देश को इस आपदा से करोड़ों का नुकसान एवं हजारों लोगों को अपने जान को जोखिम में डालना पड़ता है, तो कहीं दूसरी ओर हजारों लोग सूखे से ग्रसित हो जाते हैं और इस तरह से प्रत्येक वर्ष लोग बाढ़ और सूखे से ग्रसित होते रहते हैं, और सरकार मुआवजा देने की काम करती है और यह प्रक्रिया आजादी के 63वें वर्ष से चलती आ रही है ।

महोदय सरकार की वाटर डिजास्टर मैनेजमेंट की जितनी भी नीतियां है वह केवल पेपर तक ही सीमित है, और उनका वास्तविक रूप में कोई परिणाम नहीं आता है और मैं यहां सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इसपर सरकार को सभी पार्टियों के सहयोग से इस समस्या का स्थाई रूप निवारन होना चाहिए ।

---

*Speech was laid on the Table

***श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** आज पूरे देश में सूखा है कहीं-कहीं बाढ़ भी है । आखिर इसका कारण क्या है ? कभी इस कारण को जानने की कोशिश नहीं की गयी । पूरे देश में वर्षा से 4000 क्यूबिक मीटर पानी आता है, जिसका 18 प्रतिशत ही जमा हो पाता है, बाकी बर्बाद हो जाता है । अगर इसका ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे । यह चेतावनी विश्व बैंक ने भारत को सन् 2005 में ही दे दी थी और इस पर अमल करने को बोला था । लेकिन आज इस चेतावनी को दिये पाँच वर्ष बीत गये, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ । आज जिस तरह प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, केवल कंक्रीट का जंगल तैयार किया जा रहा है, यह पर्यावरण के लिए भयंकर खतरा है । आज रियल एस्टेट कम्पनियों के शेयर ऊपर चढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट कम्पनियों द्वारा किसानों को बहला फुसलाकर उनकी कृषि योग्य सिंचित जमीन पर कंक्रीट का जंगल तैयार किया जा रहा है, यह बेहद अफसोसजनक बात है । सरकार भी रियल एस्टेट कम्पनियों को बढ़ावा दे रही है और किसानों को दबा रही है । आज किसान चारों तरफ से मजबूर हैं, प्रकृति की मार से मजबूर है, सरकार की मार से मजबूर है, भूमि के अधिग्रहण से मजबूर है, महंगाई की मार से मजबूर है, खाद नहीं मिलने की मार से मजबूर है, उनके कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य नहीं मिलने से मजबूर है । बिचौलियों की मार से मजबूर है ।

आज जिस तरह आधुनिकता आगे बढ़ रही है, वो प्रकृति को बुरी तरह से नष्ट कर रही है जिसका परिणाम, दूषित पर्यावरण है, सूखा पड़ना तथा कभी ओले पड़ना, बादल फटना, जमीन फटना जैसी घटनाएं इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। लेकिन सरकार इस ओर से आंख मूंदे हुए है, वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है।

मेरे संसदीय क्षेत्र, नालन्दा में पिछले दो वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है परिणामस्वरूप धान की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। केवल 24 प्रतिशत ही रोपाई है, पिछले वर्ष इससे भी भयंकर सूखा पड़ा था, केवल 16 प्रतिशत ही रोपाई हुई थी। अगर यही हाल रहा तो किसान की कमर ही टूट जायेगी। आधी तो टूट ही गई है, उन्हें कोई मुआवजा, केन्द्र सरकार के तरफ से नहीं मिलता है और न कोई बेहतर सिंचाई सुविधाओं के लिए कोई योजना। किसान इस धरती का सबसे सहनशील जीव होता है किसान की तुलना भगवान से की गई है, कृषि पेशा को सबसे उत्तम पेशा कहा गया है। लेकिन आज क्या उसका सही अर्थ रह गया है ? किसानों की रोजी रोटी छिनी जा रही है। उनको बेघर किया जा रहा है लेकिन फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं और दुगुने

उत्साह से दूसरे फसल की तैयारी में जुट जाते हैं। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचन्द की कहानी, "पूस की रात " भारतीय किसान का सही कथा-चित्रण पेश करती है।

आज बेहतर जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधा की जरूरत है लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नह दे रही है। सिंचाई मंत्रालय का नया नाम जल संसाधन मंत्रालय किया गया है लेकिन वो अपना पुराना काम भी नहीं कर पा रही है।

बिहार के 38 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था यहां पर पिछले दिनों केन्द्रीय टीम भी गई थी। उन्होंने खुद मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों की स्थिति का अध्ययन किया है, उनसे पूछ जा सकता है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान की हालत कितनी खराब है। अगर केन्द्रीय टीम की अनुशंसाओं को लागू भी किया जाता है तो पुराने दर पर ही मुआवजा दिया जाएगा जिसका कोई फायदा किसानों को नहीं पहुंचेगा।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि शक्तिशाली मंत्री समूह खुद जाकर मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा एवं साथ-साथ अन्य जिलों का दौरा करे तभी कड़वी सच्चाई सामने आ पायेगी। हर बार केन्द्रीय टीम जाती है, चल आती है और एक रिपोर्ट भर प्रस्तुत कर देती है, जिसका पुराने दर पर मुआवजा दे दिया जाता है लेकिन कभी उसके स्थायी हल पर नहीं सोचा जाता है। खुद शक्तिशाली मंत्री समूह जाएंगे तो उन्हें किसानों की सही स्थिति मालूम होगी।

मैं केन्द्र सरकार से यह भी मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा जिले के प्रत्येक प्रखण्ड की हरेक पंचायत में पेयजल के लिए दस-दस डीप बोरिंग चापाकल तथा सिंचाई के लिए दो-दो डीप बोरिंग सबमर्सिबल पम्प सेट (20 एचपी का) लगवाने की व्यवस्था की जाये। तभी किसानों की जान बचेगी और उनके खेतों की सिंचाई हो सकेगी और उन्हें उनके बच्चे तथा पूरे परिवार को साफ, स्वच्छ जल, पीने को मिल सकेगा। अभी जब मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा में पिछले दो वर्षों से लगातार सूखा पड़ने से किसी के घर में चावल नहीं है तो उन्हें कम से कम राशन की दुकान से प्रत्येक परिवार को महीना में कम से कम चालीस किलोग्राम चावल तथा बीस किलोग्राम गेहूँ एवं 20 लीटर किरासन तेल, केन्द्रीय सरकार बिल्कुल रियायती दर पर उपलब्ध कराये ताकि वो लोग जिन्दा रह सकें तथा उनके दोनों वित्तीय वर्षों का के.सी.सी. ऋण माफ किया जाये। उन्हें खाद, उत्तम बीज तथा कीटनाशक एवं खेती के अन्य सामानों की व्यवस्था केन्द्र सरकार करे। बेहतर सिंचाई के लिए छिड़काव यंत्र, (Sprinkle irrigated water instrument) किसानों को मुफ्त दिया जाये ताकि कम पानी में खेतों की बेहतर सिंचाई हो सके। कीटनाशी छिड़काव यंत्र भी किसानों को मुफ्त सप्लाई दिया जाये। प्रत्येक पंचायत में जुताई के लिए, दो-दो बड़ा ट्रैक्टर का प्रबंध, केन्द्रीय सरकार करे ताकि किसानों की जमीन की जुताई हो सके और यह सारा प्रबंध केन्द्रीय सरकार यथाशीघ्र करवाये ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। बाद में दिए जाने से इसका पूरा फायदा किसानों को नहीं मिलेगा।

मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूँ कि वह कुछ ऐसा करे ताकि किसानों को जमीन पर कुछ दिखाई दे कि उन्हें केन्द्र सरकार ने कुछ लाभ दिया है।

अगर उन्हें लाभ नहीं दिया जाता है, उनकी स्थिति बद से बदतर होती जाएगी और यही उनकी हाहाकार धीरे-धीरे उग्रवाद की आवाज हो जाती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस पर मनन करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इस पर यथाशीघ्र अमल करने की जरूरत है।

ओश्री राम सिंह कस्वां (चूरू) : आपने मुझे देश में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। सूखा और बाढ़ की समस्या देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। क्या हम इन समस्याओं का मजबूती से सामना करने में सक्षम हैं। इस संकट से निपटने के लिए

चौतरफा प्रयास होने चाहिए, क्या वे नजर आ रहे हैं। हाल ही में बारिश से बेहाल-पंजाब-हरियाणा की बाढ़ ने वर्षा को आपदा में तबदील कर दिया है। वहाँ इतने दिनों जो व्यापक नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। हर वर्ष बाढ़ से देश के कई हिस्से तबाह हो जाते हैं लेकिन इसे रोकने के लिए केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा 33 वर्ष पहले बनाया गया बिल अभी तक विभिन्न राज्यों के सामने पास होने के लिए पड़ा हुआ है। मणिपुर और राजस्थान को छोड़कर किसी भी राज्य ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। हर साल बाढ़ से भारी जन धन की हानि होती है लेकिन राज्य सरकारें इससे कोई सबक नहीं ले रही है। केन्द्र सरकार भी थोड़ी बहुत सहायता व किसानों को अनुदान देकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेती है। यह हर क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि वह बरसात का मौसम शुरू होने से पूर्व ही इसका आकलन करके रखे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बाढ़ के मूल कारणों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। अगली बारिश तक लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। सच्चाई यह है कि बाढ़ की समस्या वनविनाश, अनियोजित नगरीकरण और खनन, भौतिकवादी जीवनदर्शन से सीधे जुड़ी हुई है।

1981 को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था। जिसमें राजस्थान का हिस्सा 8.6 एमएएफ तय किया गया था। भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल राजस्थान को हिस्सेदारी का 8 एमएएफ जल का ही आबंटन कर रहा है। काफी प्रयासों के पश्चात् भी शेष 0.60 एमएएफ पानी राजस्थान को नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से सिंधमुख नौहर के लिए राजस्थान के हिस्से का 0.47 एमएएफ पानी में से 030 एमएएफ पानी ही दिया जा रहा है। शेष 0.17 एमएएफ पानी काफी प्रयासों के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान में सिंचाई के पानी के साथ पीने के पानी की भी विकट समस्या है। राजस्थान नहर का निर्माण पूरा हो चुका है। इस क्षेत्र की इतनी बड़ी क्षमता है कि अगर पूर्ण पानी मिले तो उपरोक्त क्षेत्रों की बाढ़ की समस्या के हल होने के साथ-साथ अन्न का संकट भी काफी हद तक हल हो सकता है। लेकिन इस पर न तो केन्द्र सरकार गंभीर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पानी का वाजिब हक देने को तैयार नहीं है। राजस्थान हमेशा कम वर्षा से सूखे की चपेट में रहा है। कहीं पानी की अधिकता विनाश का कारण बनी हुई है। दोनों स्थिति में ऐसे राज्यों

---

*Speech was laid on the Table.

के प्रभावितों को राहत के लिए अरबों रुपये की दरकार रहेगी। वाजपेयी सरकार के समय अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि जैसी समस्या पर पार पाने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना सामने आई थी। उस योजना का क्या हुआ, सरकार बदलते ही योजना क्यों भुला दी गई ? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि सरकार बदलने का असर क्या राष्ट्रीय योजनाओं पर भी पड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक आपदा को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारे कर्ता-धर्ताओं को गंभीरता से विचार करना ही होगा। मानसून का मिजाज कब बिगड़ जाए भविष्यवाणी करना असंभव है। ऐसे में एक ही विकल्प नजर आता है कि आसमान से बरसी हर बूंद को चाहे वह कहीं भी गिरे और कभी भी गिरे सहजने की कला हमें आ जाए।

तीन राज्यों में आ रही बाढ़ के पानी को सहेज सकने की क्षमता हो तो सूखा प्रभावित राज्यों के लिए यही पानी अमृत बन सकता है। हम प्रतिवर्ष बाढ़ व सूखा पर अरबों रुपये खर्च करते हैं लेकिन नदी जोड़ो प्रोग्राम पर एक धेला भी खर्च करने को तैयार नहीं है। आज चीन एक-एक बूंद का कैसे उपयोग कर रहा है। ब्रह्मपुद्र नदी के पानी पर बांध बना रहा हे। हम क्या कर रहे हैं, सोचने का विषय हे। धीरे-धीरे नीचे का पानी खत्म हो रहा है। मानसून का कोई भरोसा नहीं। नदियों की हालत क्या होने जा रही है उन्हें उथला होने से बचाना पड़ेगा। सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर इस पर कार्य करना चाहिए। नहीं तो हमारे हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। जल प्रबंधन की जरूरत को हम समझ गए तो सूखा और बाढ़ दोनों पर हम काबू पा सके हैं। जैसे-जैसे देश विकास कर रहा है उसके किसानों की आबादी घटती जा रही है फिर हमारे किसान क्यों करें, कहां जाएं, देश के 60 करोड़ किसानों का भविष्य क्या है, किसान चाहकर भी मन मुताबिक फसलों की खेती नहीं कर सकता। खेती किसानों के लिए दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जा रही है। किसान बारिश की आशा में आकाश की तरफ टकटकी लगाए रहता है। लोग खेती और गाँव से किनारा करते जा रहे हैं। पहले तो अच्छी पैदावार नहीं होती यदि होती भी है तो किसानों को उनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। इस वर्ष वर्षों पश्चात राजस्थान में अच्छी फसल होने जा रही है। कल मैं मेरी तहसील के गाँव रामसरा-टीबा गया। मैंने कहा इस बार तो आपके मूंग की बहुत अच्छी फसल है। ग्रामवासियों ने कहा कि हमें क्या आज का भाव मिलेगा अगर आधा भी मिल जाए तो भी ठीक है। किसान भाव को लेकर भारी निराश हैं। उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे वाजिब भाव मिलेगा। ऐसी हालत में सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। किसान की खेती कैसे बचे इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। राहत कार्य सदैव से विवाद और भ्रष्टाचार की कहानी कहते रहे हैं। कई बार तो लगता है कि इस नाम पर जो घोषणा होती है उससे पूरा इलाका लखपति हो सकता है बशर्ते पैसा सीधे पीड़ित को मिले। सूखा के बाद इश्योरेंस कवर का लाभ किसानों को काफी समय बाद मिलता हे। कभी-कभी मिलता भी नहीं। इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

ओ श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): आज इस सदन में बांध सुरक्षा विधेयक, 2010 को लाया गया है1 इस विधेयक में कई प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन, भूकम्प विज्ञानी केन्द्र का संस्थापन जलाशयों का आरंभिक भराव आदि शामिल है।

आज हमारे देश में जो कानून बने हुए हैं, उसका अनुपालन सही ढंग से हो तो आज हम आमजनों की समस्याओं से निपटने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। लेकिन स्थितियां इसके विपरीत हैं। आज हम विधेयक के माध्यम से कानून में बदलाव कर रहे हैं लेकिन इस बदलाव से समस्याओं का समाधान संभव नहीं है बल्कि कानून पालकों को अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा से और कानून के उचित अनुपालन से समस्याओं से निजात दिला सकते हैं।

हमारे क्षेत्र में 1954 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी के कार्यकाल में कोनार डैम की स्थापना की गई। सोच अच्छी थी, लेकिन हमारे देश के इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, प्रबंधक की सोच जनहित से अलग हटकर दूसरे ओर जाने के कारण देश में समस्याओं का अंबार खड़ा है। इस डैम पर 3 मे0गा की एक पारम्परिक इकाई (हाइडल पॉवर प्रोजेक्ट) लगाने हेतु अनुशंसा डीवीसी द्वारा की गई थी। एनएचपीसी ने इस संबंध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की इसके बाद केन्द्रीय जल आयोग ने कह दिया कि कोनार बांध में क्रेक आ जाने के कारण पन विद्युत परियोजना स्थापित करने में दिक्कत है। फिर सीडब्ल्यूसी ने कहा कि इस डैम को 4-5 वर्षों तक जांच करने के बाद हाइडल प्रोजेक्ट निर्माण की स्वीकृति दी जा सकती है। मेरा कहना है कि जब कोनार बांध में दरार था तो एनएचपीसी ने हाइडल प्रोजेक्ट निर्माण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति क्यों दी हैं? इस कार्य में डीवीसी, सीडब्ल्यूसी और एनएचपीसी तीनों की सहभागिता है। दो विभाग हाइडल प्रोजेक्ट का प्रस्तावक है और सीडब्ल्यूसी 5 वर्षों तक जांच करने के बाद यह निष्कर्ष पर आयेगा कि हाइडल प्रोजेक्ट स्थापित किया जायेगा। यह सारा खेल दिभ्रमित करने वाला है। प्रबंधन और

तकनीकी विभागों के द्वारा जांच के नाम पर राष्ट्रीय सम्पत्ति और जनता के पैसों का अपव्यय किया गया और किया जायेगा और जनता मूलभूत समस्याओं से जूझती रहेगी।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस विधेयक के माध्यम से कानून बनाने जा रहे हैं,उसका अनुपालन सही ढंग से हो। प्रत्येक राज्य में राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना हो और इस कार्य का मानिटरिंग करने के लिए माननीय सांसदों को एक प्रभावी शक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ सेंट्रल वॉटर कमीशन (सीडब्ल्यूसी) को बांधों की सुरक्षा के लिए प्रभावी बनाया जाये और कोनार बांध में दरार के कारणों को

---

*Speech was laid on the Table

शीघ्र जांच कर हाइडल पॉवर प्रोजेक्ट निर्माण के कार्यों की शीघ्र स्वीकृति प्रदान हो और झारखंड राज्य में बांध बनाने के लिए जो भी भूमि अधिग्रहण किया गया है तो संबंधित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से मुआवजा और नौकरी आदि की व्यवस्था की जाये ताकि इस प्रदेश में बांध निर्माण कार्य में प्रदेश की जनता की सहभागिता बढ़े।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS **(**SHRI P. CHIDAMBARAM) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to hon. Members for participating in large numbers and making very useful suggestions for management of the situation caused by floods and drought every year in the country. Hon. Members have said that we should strengthen the preventive measures to tackle this recurring problem which affects millions of people every year. particularly the poor strata of the society. ...(*Interruptions*) It is, in fact, a strange phenomenon that at the same time, parts of the country are affected by floods, and parts of the country are affected by droughts. We are a large country and although it might appear strange, we have to live with this. ...(*Interruptions*) We have to prepare ourselves to deal with both droughts and floods.

To share with this hon. House, in the current South-West monsoon, out of 36 meteorological sub-divisions, nine sub-divisions received excess rainfall and six sub-divisions received deficient rainfall during the period 1st of June to 25th of August, 2010.

During the current year, 19 States and two Union Territories have experienced floods, cyclone and landslides in varying degrees. The magnitude of floods was rather severe in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Jammu & Kashmi, Mizoram, Punjab and West Bengal. The Governments of Bihar and Jharkhand have declared drought. For example, The Government of Bihar had initially declared 28 districts as drought affected, and subsequently declared 10 districts as drought affected. Jharkhand has declared the whole of the State – all 24 districts as drought affected.

As per the preliminary estimates of damage, 911 persons have lost their lives, 7000 cattle heads perished, 3.55 lakh houses were damaged, fully or partially, and crops over an area of 4.55 lakh hectares have been affected due to floods and cyclone. The management of droughts and floods is a joint responsibility of the State Government and the Central Government. The State Government is obviously the first responder; they have to undertake rescue, relief and rehabilitation operations. The Central Government is always ready to supplement these efforts by providing logistics and financial support. So, when flood hit J & K, Punjab, Haryana, Bihar and West Bengal earlier and when drought hit Bihar and Jharkhand, we have always responded promptly to the requirements projected by those States

We have deployed Army, Air Force, Border Roads Organization, the NDRF, which is a specialized force, the ITBP; we have supplied boats and other equipments in flood-affected areas. The Ministry of Health and Family Welfare has rushed doctors and medicines; the Ministry of Telecommunication has set up emergency communication facilities; the Ministry of Road Transport and Highways has tried to clear the roads and maintain traffic; the Ministry of Food and Civil Supplies has also rushed in a large quantity of food.

The situation is reviewed nearly on a daily basis by the Cabinet Secretary and the Home Secretary; and the Secretaries of the Ministries concerned, which I just mentioned, are also in touch with their counterparts in the States.

As the hon. Members are aware, during 2005-10, the total kitty of relief funds to the States was Rs. 21,333; and after the new Finance Commission, for 2010-15, it is now Rs.33,580. For the Special Category States, the Central Government's contribution is now 90 per cent. It must be remembered that financial assistance is given towards relief. It should not be confused with compensation for loss. The idea is to provide immediate relief, rescue and rehabilitation. Compensation is a separate issue. The CRF and the NCCF are not meant for that. The main objective of relief is to assist the affected persons

to restart their economic activities. The relief is by way of gratuitous assistance as an immediate help to the affected people.

Sir, the norms for granting relief are well-settled norms. The successive Governments have revised the norms. The last time we revised the norms was in July 2007. We cannot obviously re-visit the norms every year or every time there is a flood. The last time we re-visited was in July 2007, after the 12th Finance Commission gave its award. Now, after the 13th Finance Commission, we have already undertaken the exercise of revising the norms. An expert group was constituted by my Ministry on the 27th October 2009. The expert group has consulted all the State Governments; they have received the suggestions of the State Governments and the Central Ministries concerned. The group has submitted its report on the 30th June 2010. We are looking into the report, and once the report is examined, we will, in consultation with the Ministry of Finance, take up the matter of revising the norms.

We have always followed a set procedure for giving relief. We send the team to visit the States. The team comes back and gives its report. It goes to an Inter-Ministerial Group, and after that, it goes to the high-level committee and the high-level committee takes a final decision on the amount of relief to be granted.

Every State has been allocated a certain amount in their relief funds, based on the recommendations of the successive Finance Commission.

15.14 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

These are non-lapsable funds, and irrespective of whether there is a natural disaster or not, as soon as we receive the Utilization Certificate from the State Government, the Central share is released to the States. We have followed the same pattern; there is no departure from the pattern.

Some States, when they make their projections for relief, make projections, not based on the norms, but send memoranda seeking additional financial assistance, unconnected with the norms. These have to be ironed out by the Central team and by the IMG and finally, a decision is taken by the high-level committee.

We have passed the Disaster Management Act. The Act was passed in 2005 and notified on December 26th, 2005. The Disaster Management Authority has done remarkable work; they have brought out manuals; they have brought out handbooks; they have brought out instructions in all the languages; they have imparted training to hundreds of people; they have helped the State Governments set up the State Disaster Management Authority. Our capacity to deal with disasters is much better today than what it was five years ago.

Sir, the NDMA is responsible for laying down policies, plans and guidelines for disaster management and I am confident that when these plans percolate down to the district level there will be a much better response system at the district level to deal with disasters.

Sir, I wish to assure the hon. Members that in case of every flood and every drought the Government will look into the Central Team's Report very carefully, will look into the IMG's Report very carefully and the HLC will take decisions very sympathetically and very compassionately so that adequate relief is provided to States hit by drought and flood.

MR. CHAIRMAN : Does anyone wish to seek some clarification?

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) **

MR. CHAIRMAN: Please sit down and raise your hands.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: I will give you a chance to speak. Please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Why everybody is standing. I will give you a chance to speak but first sit down.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down and raise your hands. I will give some Members a chance to ask clarifications.

...(*Interruptions*)

---

*Not recorded.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): महोदय, बिहार में लगातार तीन साल से पहले बाढ़ आई, फिर सूखा आया, इस बार वहां सूखा भी है और बाढ़ भी है। बिहार की सरकार ने जब भी केन्द्र से धनराशि मांगी, हमें राशि नहीं मिली है। बिहार सरकार अपने दम पर काम कर रही है। आज वहां तबाही है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने कितना पैसा मांगा है और आपने बिहार सरकार को कितनी मदद दी है? बिहार में बाढ़ और सूखे की वजह से जो तबाही हुई है, क्या आपने उसका कोई आकलन किया है? उस आकलन के आधार पर क्या बिहार की जनता को आप न्याय देंगे?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb the House.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) **

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखा और बाढ़ दोनों हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am giving you time to speak.

...(*Interruptions*)

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा है। इनसे पूछिए क्या किया गया।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please go to your seat.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if you do not listen, I will go to the next item. I am giving you a chance to speak.

...(*Interruptions*)

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदय, बुंदेलखण्ड में किसान सूखे से तबाह हो गए हैं और उत्तर प्रदेश एवं केन्द्र, दोनों सरकार चुप बैठी हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I will give you a chance to speak. Please sit down.

...(*Interruptions*)

---

*Nor recorded.

MR. CHAIRMAN: Please behave yourselves.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mulayam Singh Ji, do you want to say something?

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति जी, आप सबको दो-दो मिनट का समय दे दें, सब शांत रहेंगे।

MR. CHAIRMAN : Everybody cannot speak at a time. I am giving chance to everybody. I have called her.

...(*Interruptions*)

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): सभापति जी, महाराष्ट्र में बाढ़ आई, लेकिन राज्य सरकार ने उसमें कोई दखल नहीं दिया और न ही केन्द्र सरकार ने उस पर कोई ध्यान दिया, जबकि दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वहां के किसानों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए यहां से घोषणा की जाए और वह राशि तुंत राज्य सरकार को दी जाए। इसके अलावा फसल बीमा योजना का जो पैसा राज्य सरकार को दिया है, उसने किसानों में अभी तक वितरित नहीं किया है। मेरा आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझ कर काम नहीं कर रही है और केन्द्र सरकार भी सहायता नहीं कर रही है। मैं चाहती हूं कि वहां के किसानों को जल्द से जल्द राहत मिले और मुआवजे की रकम मिले।

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति जी, अन्य राज्यों में काफी बारिश हुई, लेकिन बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी सूखा पड़ा है। बिहार में धान की रुपाई भी नहीं हो पाई है। वहां पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहां पर 47 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है और लोग सड़कों पर आ गए हैं। लोगों को दाल-भात भी खाने को नहीं मिल रही है। बाढ़ और सूखा, बिहार में पिछले पांच साल से लगातार पड़ रहा है। अगर राज्य सरकार के सहारे लोग रहेंगे तो बिहार में बड़े पैमाने पर लोग भूख से मरने वाले हैं। इसलिए केन्द्र अपने स्तर पर वहां मदद करे और उसकी मानिटरिंग भी करे। बिहार की स्थिति काफी खतरनाक हो रही है। झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बिहार से भिन्न नहीं है। बुंदेलखंड की स्थिति भी काफी खराब है। इसलिए वहां पशु के लिए चारा और कृषि विभाग से बात करके मोटे अनाज को पैदा करने का काम कराया जाए। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री जी जो इस विभाग को देख रहे हैं, वे इस पर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग तो चुनाव में व्यस्त रहेंगे। इसलिए आप बिहार और अन्य प्रदेशों की जल्द से जल्द मदद करें।

श्री घनश्याम अनुरागी : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बुंदेलखंड में, विशेषकर रमाबाई नगर, इटावा, औरैया, फतेहपुर और अन्य कई जनपदों में पूरी तरह से भीषण सूखा पड़ा हुआ है। इस कारण वहां स्थिति अत्यंत गम्भीर हो गई है। वहां का किसान आज भुखमरी की कगार पर है, क्योंकि खेत सूखे पड़े हुए हैं। वहां पिछले पांच साल से सूखा पड़ा हुआ है। इस वजह से वहां किसानों द्वारा अपने खेतों में जो बुवाई होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, only question should be asked.

श्री घनश्याम अनुरागी : वहां पर किसान और मजदूर भूखे मर रहे हैं। हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वह यह बताएं कि वहां जो सूखा पड़ा है, उसके लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं और कौन सी राहत दी जा रही है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए कितनी धनराशि की मांग की है? मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां के किसानों, मजदूरों और आम जनता के हित के लिए दवाएं, पढ़ाई और किसानों के विकास के लिए शीघ्र 30,000 करोड़ रुपए की राशि पैकेज के रूप में वहां के विकास के लिए उपलब्ध कराई जाए, जिससे वहां के लोगों का विकास हो सके और सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए स्थाई प्रबंध किए जा सकें। यह पैसा किसी अन्य मद में प्रदेश सरकार खर्च न कर सके या उसका दुरुपयोग न कर सके, इसलिए उस पैसे की मानिटरिंग केन्द्र द्वारा की जाए। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार मूर्तियों, पार्कों के निर्माण पर ही किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च कर रही है। यदि केन्द्र द्वारा उक्त पैकेज नहीं दिया जाता है, तो हम समझेंगे कि केन्द्र सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों की जनता के साथ अन्याय कर रही है और गरीबों तथा किसानों के साथ हमदर्दी नहीं रखती है।

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions) **

MR. CHAIRMAN: Only one man from each party will be allowed to speak.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you may please sit down now.

...(*Interruptions*)

श्री घनश्याम अनुरागी : यह विषय बहुत गंभीर है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) **

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, nothing is going on record. Please do not waste the time of the House. Everybody cannot speak at the same time.

...(*Interruptions*)

---

*Not recorded.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, इसमें कई चीजें हैं। इसमें बाढ़ और सुखाड़ और हर तरह की तबाही के सवाल उठे हैं। सभापति जी, मैंने कई बार नोटिस दिया है, एक विवादास्पद मुद्दा यह भी है कि सेंटर और स्टेट्स रिलेशन्स जो हैं, राज्य सरकारों और भारत की सरकार के बीच में जो रिश्ते हैं, जो राज्यों का शेयर होना चाहिए, उस पर भी बहुत विवाद है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज तो बाढ़ और सुखाड़ पर होम-मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया। आपका बुंदेलखंड का मामला छूट गया है। वह ज्यादा जोर से नहीं उठ सका है, पूरे सदन ने बहस की है। मैं केवल आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि समय आज और

कल का ही बचा है। यह जो सेंट्रल-स्टेट रिलेशन्स हैं इस पर बात नहीं करेंगे तो इस देश में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच में तनाव बढ़ते रहेंगे और तनाव इतनी दूर तक चले जाएंगे कि इससे समस्याएं बढ़ती रहेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप स्पीकर महोदया से कहें कि इस पर बहस कराने का काम करें।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I just have one question in two parts. In the year 2008, the State of Orissa had floods; in the year 2009, the State had drought and in 2010, in certain parts of the State there is drought and in certain parts of the State there is flood. In my constituency of Dhenkanal and Angul, there is a drought like situation. There has been not enough rain this year. In what the hon. Home Minister read out now it seemed very eloquent. It seemed there is provision for relief in that. But I would like to find out from the hon. Minister one particular point and that is, first of all, whether there is any provision for compensation. Secondly, I would like to know from the hon. Minister, through you, is the Government of India in collaboration with the State Governments planning to have any long-standing measures so that they are able to face both drought like situation wherever drought takes place regularly and wherever there is flood? It is not something that a new area is getting flooded. It is the same area that gets flooded. Is there any provision for planning on the part of the Government of India to collaborate with the State Governments, including the State Government of Orissa to ensure that drought and flood like situation are met and countered well before it takes toll on the poor farmers who have no voice in this House and instead only those who talk of nuclear arsenal have voice in this House...(*Interruptions*)

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Sir, I wish to associate myself with the opinions expressed by my colleague Shri Tathagata Satpathy on the issue of drought and flood, especially in my State of Orissa...(*Interruptions*)

श्री नवजोत सिंह सिद्धू (अमृतसर): सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय जी ने जवाब दिया है।

MR. CHAIRMAN: This is not a debate.

...(*Interruptions*)

श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्योंकि इनीसिएट मैंने किया था, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि वे बहुत ही तालीम वाले हैं। यह बात मैं पिन-पाइंटिडली कहना चाहता हूं कि " तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नीयत में खराबी है।"

महोदय, यह बात सही है। ....(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह बात सही नहीं है।...(व्यवधान) सदन में क्या यह बात करने का तरीका है।...(व्यवधान)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): महोदय, इन्हें सिर्फ सवाल पूछने के लिए कहा गया है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह विषय प्रांतीय सरकारों का है। अगर ये नीयत की बात करते हैं, तो ये राज्य सरकार की नीयत देखें।...(व्यवधान) ये सदन में गलत बात कह रहे हैं।

श्री नवजोत सिंह सिद्धू : मैं बिलकुल सही कह रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, हर बात को यहां ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं है। यह विषय प्रांतीय सरकारों का है। You do not have to dramatise everything here.â€¦ (*Interruptions*)

श्री कांति लाल भूरिया : महोदय, इन्हें सदन की मर्यादा को देखना चाहिए। ...(*Interruptions*)

श्री नवजोत सिंह सिद्धू : मैं बिलकुल सही कह रहा हूं।...(व्यवधान) You are not allowing me to speak.

MR. CHAIRMAN: You have already spoken.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

*(Interruptions)**

**Not recorded.*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, on the last occasion, the debate was over. It was mentioned specifically the other day that the debate is over. They only want to disrupt the proceedings....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am allowing Shri Sidhu to put his question because he was the mover of the discussion.

...(*Interruptions*)

श्री नवजोत सिंह सिद्धू : महोदय, आप मुझे बोलने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। ...(*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, एसटीएसी विषय पर चर्चा होनी है, फिर जीरो आवर होगा और फिर आधे घंटे की चर्चा की जानी है।...(व्यवधान) Sir, there is no system like that. The debate was concluded the other day....(*Interruptions*)

श्री नवजोत सिंह सिद्धू : मैंने तब भी जिक्र किया था कि सरकार का खतरे को टालने का क्या प्रावधान है। हर साल लोग डूबते हैं और हर साल आप भरपाई करते हैं। आप लोग जिंदा आदमी का मोल नहीं लगाते हैं, लाशों का मोल लगाते हैं। छोटा-मोटा खर्चा करके खतरे को आने से पहले टाला जा सकता था। अगर पचास हजार मुआवजा बनता है, तो पांच हजार देकर टालमटोल करते हैं। आप खतरे को टालने का काम नहीं करते हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No more questions. There is no time further for the discussion. The hon. Minister may reply now. ...(*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: It was specifically announced on the last day that the debate was over and only the hon. Minister was to reply. ...(*Interruptions*) It is not even listed for the day. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Only the hon. Minister's statement will go on record and nothing else.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Please sit down. The hon. Minister is on his legs. Otherwise, I will have to go the next item.

...(*Interruptions*)

---

*Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the hon. Minister's reply.

*(Interruptions) **

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister is prepared to reply.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) **

MR. CHAIRMAN: If the Members are not interested, then I will go to the next item.

---

*Not recorded.